

राजस्थान उच्च न्यायालय,**जयपुर पीठ**

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13662/2024

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार भवन, एच सी माथुर लेन, जनपथ, नई दिल्ली- 110001
2. मुख्य महाप्रबंधक, बीएसएनएल, राजस्थान टेलीकॉम सर्किल, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
3. मुख्य महाप्रबंधक, टी एंड डी सर्किल, बीएसएनएल, संचार विला भवन, रेजीडेंसी रोड, जबलपुर (म.प्र.) 482001
4. पी.जी.एम.टी.डी., बीएसएनएल, जयपुर, टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट एमटी रोड, जयपुर-302010

-----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राम निवास शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री रति राम शर्मा, आयु लगभग 64 वर्ष, निवासी पी. नंबर 22, कृष्णा विहार- ए, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020, एडी (टेक्नोलॉजी) टीईएस जीआर-बी

----प्रतिवादी-आवेदक

2. सचिव, टेलीकॉम संचार भवन 20, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
3. वरिष्ठ उप महानिदेशक राजस्थान टेलीकॉम, राजस्थान एलएसए, जयपुर - 302004

-----प्रोफोर्मा प्रतिवादी – गैर आवेदक

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से : श्री रवींद्र पाल सिंह, अधिवक्ता

श्री नीरज बतरा, सरकारी अधिवक्ता
हेतु।

प्रतिवादी(गण) की ओर से : श्री एस.एन. शर्मा, अधिवक्ता
और श्री एस.आर. शर्मा, अधिवक्ता।

माननीय श्रीमान् न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमान् न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर

आदेश

05/02/2025

अवनीश झिंगन, जे [मौखिक]:-

- यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर पीठ, जयपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
 - केवल सीमित आपति, जिस पर आग्रहपूर्वक बल दिया गया है, , अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 30.06.2022 को अपास्त करने के संबंध में है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 (इसके बाद 'कर्मचारी' के रूप में संदर्भित) को निलंबन अवधि के दौरान देय भुगतान को निर्वाह भत्ते तक सीमित कर दिया गया था।
 - संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रासंगिक समय पर कर्मचारी, उप मंडल अभियंता (एसडीई), देवली, जिला टोंक के रूप में कार्यरत रहते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद 'पीसी अधिनियम') के प्रावधानों के तहत बिछाए गए जाल में रंगे हाथों पकड़ा गया था। जांच लंबित रहने के दौरान, कर्मचारी को 28.10.2002 से 01.09.2004 तक और 17.07.2007
-

से 08.04.2009 तक दो बार निलंबित किया गया। विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम), अजमेर ने निर्णय दिनांक 26.03.2021 द्वारा कर्मचारी को पीसी अधिनियम के मामले में बरी कर दिया। कर्मचारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। 30.06.2022 को सदस्य (सेवाएं), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली ने आदेश पारित किया कि कर्मचारी का निलंबन उचित था और निलंबन अवधि के लिए केवल निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जाए। कर्मचारी ने अधिकरण के समक्ष कई प्रार्थनाओं के साथ आवेदन दायर किया; एक प्रार्थना आदेश दिनांक 30.06.2022 को अपास्त करने और यह निर्देश जारी करने के लिए थी कि निलंबन की अवधि को वेतन और भत्तों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर माना जाए। ओए आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। आदेश दिनांक 30.06.2022 को अपास्त करने की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। निलंबन अवधि को ड्यूटी पर मानने और वेतन एवं भत्ते निर्धारित करने के बाद, बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए। अतः, वर्तमान याचिकाप्रस्तुत की गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कर्मचारी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया था और यह सम्मानजनक बरी नहीं था, इसलिए कर्मचारी का निलंबन उचित था। उच्चतम न्यायालय के **द स्टेट ऑफ़ राजस्थान और अन्य बनाम फूल सिंह [एआईआर 2022 एससी 4176]** में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है।

5. इसके विपरीत, कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। निलंबन का कारण पीसी अधिनियम के तहत मामले में जांच लंबित होना था, जिसमें कर्मचारी को बरी कर दिया गया था।

6. निर्विवाद तथ्य हैं: - (i) कि कर्मचारी को दो बार इस कारण से निलंबित किया गया था कि पीसी अधिनियम के तहत जांच लंबित थी; (ii) कर्मचारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हुई थी; और (iii) कर्मचारी को आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था।

7. इस प्रस्थापना से कोई इंकार नहीं हो सकता कि किसी आपराधिक अपराध में जांच, पूछताछ या मुकदमे के लंबित रहने के कारण किसी कर्मचारी का निलंबन कोई दंड नहीं है। उच्चतम न्यायालय के **उड़ीसा राज्य बनाम बिमल कुमार मोहंती [(1994) 4 एससीसी 126]** के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया गया है। प्रासंगिक पैरा इस प्रकार उद्धृत है: -

"13.निलंबन कोई दंड नहीं है, बल्कि यह केवल एक कर्मचारी को उसके द्वारा धारित पद या कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना या अक्षम करना है। दूसरे शब्दों में, यह उसे कथित कदाचार को जारी रखने का और अवसर उठाने से रोकना है या सेवा के सदस्यों के बीच यह धारणा दूर करना है कि कर्तव्य में लापरवाही फलदायी होगी और दोषी कर्मचारी जांच लंबित रहने पर भी बिना किसी बाधा के बच निकलेगा या दोषी अधिकारी को जांच या अन्वेषण को विफल करने का अवसर देने से रोकना है या गवाहों को अपनी तरफ मिलाना या दोषी अधिकारी को कार्यालय में रहते हुए जांच या अन्वेषण की प्रगति में बाधा डालने का अवसर मिलना आदि।"

8. वर्तमान मामले में, कर्मचारी को पीसी अधिनियम के तहत जांच लंबित होने के कारण निलंबित किया गया था और अंततः उसे बरी कर दिया गया। कर्मचारी के खिलाफ किसी भी विभागीय कार्यवाही के अभाव में, आदेश दिनांक 30.06.2022 यह निष्कर्ष निकालता है कि निलंबन उचित था और कर्मचारी को भुगतान निर्वाह भत्ते तक सीमित किया जाए, यह आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद कर्मचारी को दंडित करने के समान है।

9. अधिकरण ने सही निष्कर्ष निकाला कि कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और आपराधिक मामले में बरी होने के बाद, निलंबन अवधि के दौरान वेतन को निर्वाह भत्ते तक सीमित करने का कोई औचित्य नहीं था।

10. दूसरे शब्दों में, किसी भी विभागीय जांच और विभाग द्वारा उसके किसी दंड आदेश के अभाव में और आपराधिक मामले में बरी होने के बाद, कर्मचारी को निलंबन की अवधि के दौरान वेतन को सीमित करके दंडित नहीं किया जा सकता है।

11. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा **फूल सिंह** (उपरोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करना व्यर्थ है। उस मामले में कर्मचारी को विभागीय कार्यवाही में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और बर्खास्तगी को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा गया था। संदेह के लाभ के आधार पर बरी होने पर कर्मचारी ने बहाली का दावा किया। उस पृष्ठभूमि में यह माना गया कि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही अलग-अलग धरातल पर हैं और संदेह के लाभ पर बरी होने से स्वतः ही कर्मचारी की बहाली नहीं हो जाएगी।

12. आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। रिट याचिका निरस्त की जाती है।

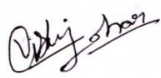
(प्रमिल कुमार माथुर), जे

(अवनीश झिंगन), जे

हिमांशु सोनी/49

रिपोर्ट करने योग्य:- हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़